

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-18112021-231230  
SG-DL-E-18112021-231230असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 336]	दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 17, 2021/कार्तिक 26, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 253
No. 336]	DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 2021/KARTIKA 26, 1943	[N. C. T. D. No. 253

भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 17 नवम्बर, 2021

सं. फा. डीसी/ए.आर.यू./परिवहन/2011-12-पार्ट/107740.—जबकि मोटरवाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 का पुनः संशोधन करने के लिए नियमों का प्रारूप दिनांक 27.10.2021 की अधिसूचना सं. फा. डीसी/ए.आर.यू./परिवहन/2011-12-पार्ट/101418 के अनुसार दिल्ली राजपत्र भाग-4 असाधारण में, जिस तिथि को उक्त अधिसूचना वाला दिल्ली के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थी, उस तिथि से तीन दिन की अवधि बीतने से पहले इस से प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था,

और जबकि, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को 27 अक्टूबर, 2021 को उपलब्ध कराई गई थी;

और जबकि, उक्त प्रारूप नियमावली के संबंध में जनता से कोई भी आपत्ति तथा सुझाव प्राप्त नहीं हुए।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खण्ड (41) के साथ पठित धारा 96 के खंड (xviii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली मोटर वाहन नियामावली, 1993 का पुनः संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं:

## नियमावली

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ	(1) इन नियमों को दिल्ली मोटर वाहन (संशोधन) नियमावली (प्रथम संशोधन) नियम, 2021 कहा जाएगा। (2) ये दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।
नियम 71 डी का संशोधन	नियम 71 डी को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :- नियम 71 डी-बसों के लिए विविध रंग योजना, नियम 71 ए, 71 बी और 71 सी में निर्दिष्ट के अलावा तथा अन्य परिवहन वाहनों के लिए आयुक्त, परिवहन लिखित आदेश द्वारा अन्य श्रेणियों की बसों के लिए कोई भी रंग योजना निर्दिष्ट कर सकते हैं, जो कि नियम 71ए, 71बी और 71 सी में निर्दिष्ट नहीं है तथा अन्य परिवहन वाहनों के लिए, जिसकी रंग योजना इन नियमों में निर्दिष्ट नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,  
के. के. दहिया, विशेष सचिव ( परिवहन)

**TRANSPORT DEPARTMENT  
NOTIFICATION**

Delhi, the 17th November, 2021

**No. F. DC/ARU/TPT/2011-12/part/107740.**—Whereas the draft rules further to amend the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993 were published as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide Notification No. F. DC/ARU/TPT/2011-12/part/101418 dated 27.10.2021 in the Delhi Gazette, Part-IV, Extra-ordinary inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before expiry of the period of three days from the date on which copies of the Delhi Gazette containing the said notification were made available to public.

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 27<sup>th</sup> October, 2021.

And whereas, no objection and suggestion has been received from the public in respect of the said draft rules.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Clause (xviii) of Section 96 read with sub-section 41 of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and to further amend the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993, the Hon'ble Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, makes the following rules;

**RULE**

Short Title and Commencement	(1) These rules may be called the Delhi Motor Vehicles (First Amendment) Rules, 2021. (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Delhi Gazette.
Amendment in rule 71-D	The rule 71-D is substituted as under: <b>Rule 71D – Miscellaneous colour scheme for buses, other than specified in Rules 71A, 71B and 71C and other transport vehicles</b> The Commissioner, Transport may by order in writing specify any colour scheme for other categories of buses, other than as specified above in Rules 71A, 71B and 71C and other transport vehicles, the colour scheme of which is not specified in these rules.

By Order and in the Name of Lt. Governor  
of National Capital Territory of Delhi,  
K. K. DAHIYA, Spl. Secy. (Transport)